न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर०ए०एस

दावा सं०	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23 / 17	7.2.17	29.3.22

उनवान

1. साहबदीन पुत्र चाहत
2. अख्तर
3. इस्लाम
4. हारून
5. असलूप
6. दाउद पुत्रान मंगली
7. आसू
8. नियाजू
9. नत्थू
10. सरीफ पुत्रान ईसब जाति मेवान निवासी मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।

:–वादीगण

बनाम

1. अलीमन बेवा सुब्बन जाति मेव निवासी ग्राम सरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।
2. असरफी
3. फरीदा पुत्रीयान सुब्बन जाति मेव निवासी सरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।
4. रहमत पुत्र घीसा जाति मेव निवासी सरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।
5. मु० अपसरी बेवा हसन खॉ
6. ईसाक
7. उमर खॉ
8. याकूब
9. जुबेदा पुत्रान हसन खॉ
10. मैमूना पुत्री हसन खॉ जाति मेव निवासी जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर राज०।

:–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दावा हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–1. श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादी की ओर से।

2. प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बरान हाल 42 रकबा 0.09 बिस्वा, 43 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 82 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 89 रकबा 01–03 बिस्वा 44 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 124 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके मोजा सरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है जो आराजी आगे वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी।

वादीगण की आराजी बयानकर्दा जिमन नम्बर 1 अर्जीदावा के खातेदार काबिज काश्तकार है । आराजी में बोरिंग लगाया हुआ है मोके पर फसल वादीगण द्वारा काश्त की हुई है पूर्व में भी वादीगण द्वारा ही फसल काश्त व दरो की है।

वादीगण के बुजुर्गान ने पूर्व में दो दावे बाबत आराजी खसरा नम्बर 42,43,82,89,44,127 की बाबत श्रीमान की अदालत में दायर किये थे जो वाद चाहत बनाम सुब्बन मुकदमा नं0 197/79 व मुकदमा नं0 204/79 दायर किये , जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामें 9–11–79 को पेश कर दिये गये और राजीनामा के अनुसार वाद की निस्तारण हो गया । नकल वाद पत्र व राजीनामा संलग्न है।

प्रतिवादीगण ग्राम के निवासी भी नही है तथा बाहर रहते है तथा मुठमर्द व लडाका किस्म के लोग है नवम्बर 20196 में प्रतिवादीगण ने आराजी में बेजा मजाहमत की तो झगडा फसाद हुआ लोगो के बीच बचाव करने पर प्रतिवादीगण भाग गये । प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि आराजी पर कब्जा करेंगे तथा वादीगण को बेदखल करेंगे । जिस पर वादीगण ने पूर्व में दावों व राजीनामें कि नकल प्राप्त की । वादीगण ने प्रतिवादीगण को 5.1.2017 को समझाया लेकिन प्रतिवादीगण ने फिर धमकी दी जिससे वादीगण के पास वाद के अलावा अन्य कोई चारा नही रहा । इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि आराजी खसरा नं0 हाल 42 रकबा 0.09 बिस्वा, 43 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 82 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 89 रकबा 01–03 बिस्वा 44 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 124 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके मोजा सरपुर तहसील किशनगढबास के वादीगण खातेदार काश्तकार है फरमाये जाने पाबन्द प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

इस अमर के कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार मुजाहिम ना हो ना वादीगण को जोतने बोने व दरो करने में मजाहमत पैदा करे , न रिकार्ड में कोई तब्दीली करावे यथास्थिति बनाये रखे।

हकूक वादीगण कानून द्वारा रक्षित है । अतः अपने अधिकारो की रक्षा के लिए दावा हुक्मइम्तनाई दवामी पेश करना लाजिम आया ।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात बाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न डिकी फरमाया जावे।

अ— जर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नं0 42 रकबा 0.09 बिस्वा, 43 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 82 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 89 रकबा 0—03 बिस्वा 44 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 124 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके मोजा सरपुर तहसील किशनगढबास के वादीगण खातेदार काश्तकार है फरमाये जाने पाबन्द प्रतिवादीगण इस अमर के कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार मुजाहिम ना हो ना वादीगण को जोतने बोने व दरो करने में मजाहमत पैदा करे, न ही रिकार्ड में कोई तब्दीली करावे यथास्थिति बनाये रखे।

ब— खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स— दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नही उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने साक्ष्य में आसु पीडब्लू—1, शहीद पीडब्लू—2 ,नूरू पीडब्लू—3 साकिन मिर्जापुर के शपथ पत्र पेश किये है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य राजीनामा, प्रदर्श—1, प्रार्थना पत्र राजीनाम प्रदर्श—2, प्रार्थना पत्र राजीनाम प्रदर्श—3, प्रदर्श—4 , राजीनामा प्रदर्श—5, प्रदर्श—6 दावे की प्रतिलिपि, प्रदर्श— जमाबंदीयात प्रदर्श—7, जमाबंदीयात संवत 2072—75 प्रदर्श—8 पेश किये है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधौपान्त अवलोकन किया। नकल प्रार्थना पत्र उनवानी वाद चाहत बनाम सुब्बन मु0न0 197/79 व 204/79 जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा दिनांक 9.11.79 प्रदर्श—1, प्रदर्श—2 के अवलोकन से साबित होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान हाल 42 रकबा 0.09 बिस्वा, 43 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 82 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा,89 रकबा 01—03 बिस्वा, 44 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 124 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 6

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके मोजा सरपुर तहसील किशनगढबास का पक्षकारान के बीच राजीनामा हुआ है। तथा हाल जमाबंदी 2072–75 के अनुसार वादीगण आराजी के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का आराजी से कोई सम्बध वो सरोकार नही है। चूकी आराजी उक्त पर वादीगण का राजस्व रिकार्ड मे खातेदार दर्ज है प्रतिवादी का आराजी उक्त से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है ना ही इससे पूर्व की तेयार जमाबन्दीयात मे प्रतिवादी के नाम का अंकन है जिससे यह कहना उचित रहेगा कि प्रतिवादी का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही रहा है ना ही वर्तमान मे है इसलिए हम वाद वादीगण को डिकी किया जाना उचित वं न्यायसंगत समझते है वाद वादीगण काबिले डिकी करार पाता है न्याय एवं विधि का सिद्धान्त भी यही है वाद वादीगण काबिले डिकी करार पाता है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादीगण बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 42 रकबा 0.09 बिस्वा, 43 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 82 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 89 रकबा 01–03 बिस्वा, 44 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 124 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके मोजा सरपुर तहसील किशनगढबास का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को इस अमर पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की मुजाहिम ना हो, ना वादीगण को जोतने बोने व दरो करने मे मजाहमत पैदा । खर्चा पक्षकार स्व्यं वहन करे। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर०ए०एस

दावा सं०	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23/17	7.2.17	29.3.22

पर्चाडिकी

<u>उनवान</u>

1. साहबदीन पुत्र चाहत
2. अख्तर
3. इस्लाम
4. हारून
5. असलूप
6. दाउद पुत्रान मंगली
7. आसू
8. नियाजू
9. नत्थू
10. सरीफ पुत्रान ईसब जाति मेवान निवासी मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।

:–वादीगण

<u>बनाम</u>

1. अलीमन बेवा सुब्बन जाति मेव निवासी ग्राम सरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।
2. असरफी
3. फरीदा पुत्रीयान सुब्बन जाति मेव निवासी सरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।
4. रहमत पुत्र घीसा जाति मेव निवासी सरपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।
5. मु० अपसरी बेवा हसन खॉ
6. ईसाक
7. उमर खॉ
8. याकूब
9. जुबेदा पुत्रान हसन खॉ
10. मैमूना पुत्री हसन खॉ जाति मेव निवासी जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर राज०।

:–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दावा हुकमइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः—1. श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादी की ओर से।

2. प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही।

वाद वादीगण बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 42 रकबा 0.09 बिस्वा, 43 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 82 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 89 रकबा 01—03 बिस्वा, 44 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 124 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके मोजा सरपुर तहसील किशनगढबास का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को इस अमर पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की मुजाहिम ना हो, ना वादीगण को जोतने बोने व दरो करने मे मजाहमत पैदा ।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)